



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2009/पौष 16, 1930

No. 36]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2009/PAUSA 16, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2009

का.आ. 43(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 जनवरी, 2008 को सं. का.आ. 218(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में दो आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे। यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन

जोन “एफ” में बदरपुर स्थित 3923 वर्गमीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन-“एफ” में बदरपुर क्षेत्र	3923 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक सुविधाएं (कब्रिस्तान)	उत्तर पश्चिम—डिस्ट्रिक्ट पार्क उत्तर पूर्व—डिस्ट्रिक्ट पार्क दक्षिण पश्चिम—रेलवे लाइन दक्षिण पूर्व—वर्तमान सड़क

[सं. के. 20013/18/2006-डी डी वी ए/आई बी]

पी. के. सांतारा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2009

S.O. 43(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O.218(E) dated 31st January, 2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas only two objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 3923 sq.mtr. at Badarpur in Zone-'F' is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Badarpur area in zone 'F'	3923 sqm.	'Recreational' (District Park)	'Public and Semi Public Facilities' (Burial Ground)	North-West - District Park North-East - District Park South-West - Railway Line South-East - Existing Road

[No. K-20013/18/2006-DDVA/IB]

P. K. SANTRA, Under Secy.